<u>न्यायालय श्रीमान् म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0</u>

निगरानी-5024/2018/रीवा/भू.रा.

राघवेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पिता श्री कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 58 साल निवासी ग्राम देवरा, पो0आ0–खटखरी, थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0– -----<u>निगरानीकर्ता / आवेदक</u>

<u>बनाम</u>

1–ज्ञानेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पिता श्री कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 61वर्ष निवासी ग्राम देवरा, पो0आ0–खटखरी, थाना शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0।

2–शासन म0प्र0– <u>----गैरनिगरानीकर्ता / अना0गण</u>

श्री 2018 द्वारा 16-8-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-8- नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0 प्र0क्रं0–171 / अ.6 / 16–17 आदेश <u>दिनांक–9–8–18।</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म0 प्र0 भू0 रा0सं0 सन् 1959ई0।</u>

मान्यवर,

<u>आधार निगरानी निम्न है:––</u>

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है परन्तु बिचारण न्यायालय

(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/5024/18/रीवा/भू.रा. राघवेन्द्र प्रसाद / ज्ञानेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री आर॰पी॰ द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तह. हनुमना के प्रकरण क्रमांक 171/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 09/08/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	